

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

संकल्प सं०:- 6323378 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

संचिका सं०-R-504/24/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-395974)

श्री अमरेन्द्र पंडित (अनुक्रमांक-145372), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी, कटरा (मुजफ्फरपुर) सम्प्रति-ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल) के विरुद्ध ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) योजना के क्रियान्वयन में अनुश्रवण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं पंचायत स्तरीय क्रय समिति का गठन नहीं किये जाने संबंधी आरोप के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-3015 दिनांक-01.09.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर प्रखंड कार्यालय, पिपरा, सुपौल के पत्रांक-432 दिनांक-29.04.2026 के माध्यम से श्री पंडित द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोप एवं श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5750139 दिनांक-11.06.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2842 दिनांक-03.08.2026 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री अमरेन्द्र पंडित के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में अंकित किया गया है कि तीन सदस्यीय स्थानीय क्रय समिति के गठन के संदर्भ में श्री पंडित द्वारा किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया गया। श्री पंडित के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति एवं वित्तीय अनियमितता से संबंधित है, जिसकी वृहत एवं गहन जाँच की आवश्यकता है। तदालोक में श्री पंडित के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में श्री अमरेन्द्र पंडित, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी, कटरा (मुजफ्फरपुर) सम्प्रति-ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

एतद् द्वारा श्री अमरेन्द्र पंडित को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

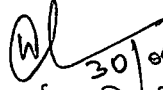
(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6323378 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

संचिका संO- R-504/24/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-395974)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6323378 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

संचिका संO- R-504/24/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-395974)

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल/श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु)/श्री अमरेन्द्र पंडित (अनुक्रमांक-145372), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी, कटरा (मुजफ्फरपुर) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मुजफ्फरपुर को अनुशासनिक कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।


30/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- 6323378 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

संचिका संO- R-504/24/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-395974)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


30/09/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी